

16.12.2021 पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर नोट प्रेस कर उक्त प्रार्थना-पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। अतः प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल द्वारा नोट प्रेस मे खारिज करने के निवेदन पर उक्त प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रही है अतः वर्तमान स्तर पर ही प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
इनुनागढ

